नई पॉलिसी बना रही है सरकार, खास विक्रेताओं को प्राथमिकता देने पर रोक लगेगी

उपभोक्ता पर अपनी पसंद नहीं थोप सकेंगी ई-कॉमर्स कंपनियां

जरूर जानें

नई दिल्ली, हिन्दुस्तान ब्यूरो। ई-कॉमर्स वेबसाइट ग्राहकों को अपनी पसंद का सामान तलाश करने का विकल्प देती हैं। जब ग्राहक वेबसाइट पर सामान तलाश करता है तो कंपनियां उसे अपनी पसंद के उत्पाद बार-बार दिखाती हैं। इससे ग्राहक के भ्रमित होने की संभावना होती है। ई-कॉमर्स कंपनियों की ग्राहकों को अपनी पसंद थोपने की इस प्रथा पर लगाम लगाने के लिए सरकार नई पॉलिसी पर काम कर रही है। इस पॉलिसी में एल्गोरिद्म निष्पक्षता से जुड़े नियम बनाए जा रहे हैं ताकि ई-कॉमर्स कंपनियां ग्राहकों पर अपनी पसंद ना थोप सकें। पॉलिसी के प्रस्तावित नियमों के मुताबिक, ई-कॉमर्स कंपनियों को सर्च के दौरान ग्राहकों को कई विक्रेताओं के उत्पाद दिखाने होंगे ना कि कुछ खास विक्रेताओं के।

वित्तीय बाजारों में 18 अप्रैल से कारोबार नौ बजे शुरू होगाः भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के नियमन वाले बाजारों में 18 अप्रैल से कारोबार सुबह नौ बजे से ही शुरू हो जाएगा। आरबीआई ने सोमवार को एक विज्ञप्ति में कहा कि लोगों की आवाजाही पर लगी पाबंदियां काफी हद तक खत्म हो जाने और दफ्तरों में कामकाज सामान्य होने के मद्देनजर वित्तीय बाजारों में कारोबार की शुरुआत सुबह नौ बजे से ही करने का फैसला किया गया है।

ऑनलाइन बिक्री के लिए नया फ्रेमवर्क जल्द

केंद्र सरकार देश में ई-कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए नया डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेमवर्क ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) लाने जा रही है। इसका बीटा संस्करण अप्रैल में पेश हो सकता है। जानकारी के अनुसार, दिल्ली, बेंगलुरु, कोयंबटूर, शिलांग और भोपाल से बीटा संस्करण की शुरुआत हो सकती है। इसकी आधिकारिक लॉन्चिंग अगस्त में संभव है। पेटीएम, डून्जो, फोनपे, माइक्रोसॉफ्ट समेत कई कंपनियों को ओएनडीसी से जोड़ने के लिए बातचीत अंतिम दौर में चल रही है।

ओएनडीसी का हिस्सा

एल्गोरिद्म निष्पक्षता के नए नियम ओएनडीसी का हिस्सा होंगे। यह नियम डिजिटल कॉमर्स से जुड़ी सभी कंपनियों पर लागू होंगे। इसमें अमेजन, फ्लिपकार्ट, गूगल प्लेस्टोर, ऐपल स्टोर समेत कैब सेवा प्रदाता और होटल सेवा प्रदाता कंपनियां भी शामिल हैं।

पक्षपात के आरोप

ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस से जुड़े स्वतंत्र विक्रेता कंपनियों पर पक्षपात लगाते रहे हैं। इन विक्रेताओं का कहना है कि कंपनियां कुछ विक्रेताओं को खास प्राथमिकता देती हैं। ग्राहक की तलाश के दौरान ऐसे विक्रेताओं के उत्पाद बार-बार दिखाई देते हैं।

फटाफट लोन देने वाले ऐप पर लगाम के लिए नीति जल्द

बीते दो-तीन वर्षों में देश में फटाफट लोन देने वाले ऐप की संख्या में अच्छी-खासी बढ़ोतरी हुई है। यह ऐप ग्राहकों को कुछ ही मिनट में लोन दे देते हैं। लेकिन बाद में वसूली करते समय ग्राहकों से खराब व्यवहार करते हैं। ग्राहकों की ओर से इनकी मनमानी को लेकर लगातार शिकायतें भी मिलती रहती हैं। इन सब पर अंकुश लगाने के लिए आरबीआई डिजिटल लेंडिंग को लेकर नई पॉलिसी लेकर आ रहा है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में कहा कि डिजिटल लेंडिंग से जुड़ी गाइडलाइंस अगले दो महीने में जारी कर दी जाएंगी। इससे फटाफट लेने देने वाली ऐप कंपनियों की मनमानी पर लगाम लगेगी। दास ने कहा कि डिजिटल लेंडिंग को लेकर मिली सिफारिशों के परीक्षण का कार्य पूरा हो चुका है। जल्द इन पर आंतरिक चर्चा होगी। इसके बाद गाइडलाइंस को अंतिम रूप दिया जाएगा।

सोने में निवेश पर जोखिम आकलन के निर्देश जारी

नई दिल्ली, एजेंसी। बाजार नियामक सेबी ने सोने और सोने से संबंधित निवेश माध्यमों में म्यूचुअल फंड कंपनियों के जोखिम आकलन के लिए सोमवार को नए दिशानिर्देश जारी किए। सेबी ने एक परिपत्र में कहा कि म्यूचुअल फंड द्वारा ऐसे जिंस में निवेश को एक जोखिम स्कोर दिया जाएगा। यह इन जिंसों की कीमत में रही सालाना उठापटक के आधार पर होगा। सेबी के मुताबिक, जिंसों की कीमतों में रही सालाना उठापटक की गणना तिमाही आधार पर जिंस के मानक सूचकांक की 15 वर्षों की कीमतों पर की जाएगी। इन जिंसों के लिए जोखिम को चार स्तरों में वर्गीकृत किया जाएगा।